"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 523] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2014— आश्विन 23, शक 1936

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर, 2014

अधिसूचना

क्रमांकः एफ 1–60/2013/जन.नि./42.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2014 कहलायेंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है अनुसूची–एक के कॉलम (6) में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

   (ख) **"समिति"** से अभिप्रेत है अनुसची–चार के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति अथवा चयन समिति;

   (ग) **"संचालक"** से अभिप्रेत है संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़;

   (घ) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत सेवा में भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

   (ङ) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (च) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(छ) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ञ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ट) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा;

(ठ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(ग) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों द्वारा की जाएगी, अर्थात्:—

(क) प्रतियोगी परीक्षा अथवा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) **आयु**– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को, अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं अथवा रह चुके हैं, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष

पूर्व मितव्ययिता इंकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:--

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें--

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप-- (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन हेतु प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी अन्य मामले में, ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) **शैक्षणिक अर्हतायें एवं अनुभव–** अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव होनी चाहिये, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) **शुल्क–** (क) अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जो चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किये गये हों, को स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को, शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.–** (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसी कि विहित की जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में, अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसे सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम अवधारण न कर दिया जाये।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.–** (1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के पश्चात् भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. **प्रतियोगी परीक्षा/चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.– (1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती:–** (एक) नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे।

(दो) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे।

(तीन) प्रतियोगिता परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी आदेश के अनुसार चयन समिति द्वारा आयोजित की जायेगी:

परन्तु यह कि सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा, ऐसी एजेंसी, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें, के द्वारा समय–समय पर आयोजित की जायेंगी।

(चार) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन, महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, शासन से परामर्श करने के पश्चात्, अवधारित किया जाये।

(2) **चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती:–** (एक) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन, ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, अवधारित करे।

(दो) अभ्यर्थियों का चयन, साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(तीन) चयन समिति, समुचित समय अन्तरालों पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित की जायेगी।

(3) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिये उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, उप–नियम (3) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–कीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण, समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–कीमीलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में

उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों को, शासन द्वारा समय-समय परजारी निर्देशों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

12 **समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.**— (1) समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों तथा महिला, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की एक सूची जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, मेरिट क्रम में तैयार करेगी तथा नियुक्ति हेतु उक्त सूची की वैधता, नियुक्ति प्राधिकारी को सूची भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) चयन समिति द्वारा, उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक प्रवर्ग के लिये, एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम भी सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी होने की तारीख से डेढ़ वर्ष की होगी।

(3) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(4) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(5) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(6) किसी अभ्यर्थी के, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप-नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन- नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों

तथा शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन कर लिया है तथा उसने उक्त **अधिनियम की धारा** 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.**– (1) उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के नियम 4 के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(3) (एक) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति वरिष्ठता सह–उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गो के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पदों तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति योग्यता सह–वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो, वहां विचारण का क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण के क्षेत्र में कुल रिक्त पदों की संख्या के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण के क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(4) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में उनके नाम पर विचार किया जायेगा।

(5) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त कर्मचारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) चयन सूची तैयार करते समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, किंतु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नही किया गया हो, उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्‌वर्ती चयन में विचार किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य के आधार पर, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण किया जायेगा।

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है, तो समिति, यथास्थिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारणों को अभिलिखित करेगी।

16. **चयन सूची**.– (1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नही है, तो उसे (सूची को) अनुमोदित करेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो नियुक्ति प्राधिकारी, प्रस्तावित परिवर्तनों से समिति को सूचित करेगा तथा यदि समिति, कोई मत प्रकट करे, तो उस पर विचार करने के पश्चात् ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर, सिविल सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची की वैधता अवधि, इसके तैयार किये जाने की तारीख से 31 दिसम्बर के बाद नहीं बढ़ाई जायेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण एवं कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा तथा समिति, यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति**.– (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

18. **परिवीक्षा**.– (1) (क) सेवा में भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(ख) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(ग) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु योग्य नही है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा समाप्त की जा सकेंगी।

(2) सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

19. **निर्वचन**.– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित आरक्षण और अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

अनुसूची–एक

(नियम 5 देखिये)

स.क.	पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी / गैर–तकनीकी संवर्ग					
1	प्रशिक्षण अधीक्षक / तकनीकी सहायक	254	तृतीय श्रेणी	9300–34800 +4300	संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़
2.	प्रशिक्षण अधिकारी (स्टेनोग्राफी) हिन्दी / अंग्रेजी	39	तृतीय श्रेणी	9300–34800 +4300	संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय / संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष प्राधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभारी हो
3.	प्रशिक्षण अधिकारी (भाषा) हिन्दी / अंग्रेजी / कम्यूनिकेशन स्किल	140	तृतीय श्रेणी	9300–34800 +4200	–तदैव–
4.	(क) प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय / इंजीनियरिंग ड्राईंग / वर्कशाप केलकुलेशन / सी.ओ.ई. / बीबीबीटी)	1750	तृतीय श्रेणी	9300–34800 +4200	–तदैव–
	(ख) प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई. एडवांस माड्यूल)	40	तृतीय श्रेणी	9300–34800 +4200	–तदैव–
5.	प्रशिक्षण अधिकारी (सामाजिक अध्ययन / एम्पलायबीलिटी स्किल)	21	तृतीय श्रेणी	9300–34800 +4200	–तदैव–
6.	मेन्टेनेंस मैकेनिक (मेकेनिकल / इलेक्ट्रिकल)	24	तृतीय श्रेणी	5200–20200 +2200	–तदैव–

अलिपिकीय गैर—तकनीकी संवर्ग					
7.	(क) छात्रावास अधीक्षक (बालक)	70	तृतीय श्रेणी	5200—20200 +2400	—तदैव—
	(ख) छात्रावास अधीक्षक (बालिका)	10	तृतीय श्रेणी	5200—20200 +2400	—तदैव—
8.	वाहन चालक	11	तृतीय श्रेणी	5200—20200 +1900	—तदैव—
9.	फार्मासिस्ट	30	तृतीय श्रेणी	5200—20200 +1900	—तदैव—
10	पट्टी बंधक (ड्रेसर)	27	तृतीय श्रेणी	5200—20200 +1800	—तदैव—
लिपिकवर्गीय संवर्ग					
11.	अधीक्षक, संचालनालय	01	तृतीय श्रेणी	9300—34800 +4300	संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़
12.	अधीक्षक (आई.टी.आई./क्षेत्रीय कार्यालय)	07	तृतीय श्रेणी	9300—34800 +4200	संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय /संयुक्त संचालक या उसका समकक्ष प्राधिकारी जो स्थापना शाखा का प्रभारी हो
13.	सहायक लेखा अधिकारी	01	तृतीय श्रेणी	9300—34800 +4200	—तदैव—
14.	शीघ्रलेखक ग्रेड—तीन	02	तृतीय श्रेणी	5200—20200 +2800	—तदैव—
15.	सहायक अधीक्षक / सहायक ग्रेड—एक	79	तृतीय श्रेणी	5200—20200 +2800	—तदैव—
16.	सहायक ग्रेड—दो /लेखापाल	263	तृतीय श्रेणी	5200—20200 +2400	—तदैव—
17.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	102	तृतीय श्रेणी	5200—20200 +2400	—तदैव—
18.	सहायक ग्रेड—तीन	349	तृतीय श्रेणी	5200—20200 +1900	—तदैव—
19.	स्टेनो टायपिस्ट	07	तृतीय श्रेणी	5200—20200 +1900	—तदैव—

अनुसूची—दो

(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा नियम (6) (1) (क) देखिये	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम (6) (1) (ख) देखिये	अन्य सेवा से व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा नियम (6) (1) (ग) देखिये.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	तकनीकी / गैर—तकनीकी संवर्ग					
1.	प्रशिक्षण अधीक्षक / तकनीकी सहायक	254	—	**100%**	—	सरल क्रमांक 4(क) एवं 4(ख) में से.
2.	प्रशिक्षण अधिकारी (स्टेनोग्राफी) हिन्दी / अंग्रेजी	39	**100%**	—	—	
3.	प्रशिक्षण अधिकारी (भाषा) हिन्दी / अंग्रेजी / कम्यूनिकेशन स्किल	140	**100%**	—	—	
4.	(क) प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय / इंजीनियरिंग ड्राईंग / वर्कशाप केलकुलेशन / सी.ओ.ई. / बीबीबीटी)	1750	**85%**	**15%**	—	(1) सरल क्रमांक 4(क) के कॉलम (5) में **25%** ऐसे मैन्टेनेन्स मैकेनिक (मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल) से भरे जायेंगे, जो 5 वर्ष का अनुभव के साथ शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता रखते हों। (2) सरल क्रमांक 4(क) के कॉलम (5) में **75%** उन कर्मशाला

						सहायक से भरे जायेंगे, जो पांच वर्ष के अनुभव के साथ शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता रखते हों।
	(ख) प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई. एडवांस माड्यूल)	40	100%	—	—	
5.	प्रशिक्षण अधिकारी (सामाजिक अध्ययन /एम्पलायबीलिटी स्किल)	21	100%	—	—	
6.	मेन्टेनेंस मैकेनिक (मेकेनिकल / इलेक्ट्रिकल)	24	100%	—	—	
अलिपिकीय गैर-तकनीकी संवर्ग						
7.	(क) छात्रावास अधीक्षक (बालक)	70	100%	—	—	
	(ख) छात्रावास अधीक्षक (बालिका)	10	100%	—	—	
8.	वाहन चालक	11	100%	—	—	
9.	फार्मासिस्ट	30	75%	25%	—	25% पद, उन पट्टी बंधकों से भरें जायेंगे जो विहित शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता रखते हों तथा जिनके पास न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो
10.	पट्टी बंधक (ड्रेसर)	27	100%	—	—	

लिपिकवर्गीय संवर्ग						
11.	अधीक्षक, संचालनालय	01	--	100%	–	
12	अधीक्षक (आई.टी.आई./क्षेत्रीय कार्यालय)	07	–	100%	–	
13.	सहायक लेखा अधिकारी	01	–	100%	–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही तीन वर्ष का सहायक ग्रेड–एक के पद पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिये
14.	शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	02	–	100%	–	
15.	सहायक अधीक्षक / सहायक ग्रेड–एक	79	–	100%	–	
16.	सहायक ग्रेड–दो / लेखापाल	263	–	100%	–	
17.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	102	100%	–	–	
18.	सहायक ग्रेड–तीन	349	75%	25%	–	25% पद, उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भरे जायेंगे जो हायर सैकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा जिन्हें न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो
19.	स्टेनो टायपिस्ट	07	100%	–	–	

अनुसूची—तीन

(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक योग्यता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		तकनीकी संवर्ग		
1.	प्रशिक्षण अधिकारी (इलेक्ट्रानिक्स, रेडियो तथा टेलीविजन मेकेनिक व्यवसाय)	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के लिये 35 वर्ष)	(1) गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण.
2.	प्रशिक्षण अधिकारी (ड्राफ्ट्समेन सिविल, पेंटर जनरल, सर्वेयर)	—तदैव—	—तदैव—	(1) गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से सिविल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण.
3.	प्रशिक्षण अधिकारी (मेसन)	—तदैव—	—तदैव—	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से सिविल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण.

4.	प्रशिक्षण अधिकारी (इलेक्ट्रिशियन)	–तदैव–	–तदैव–	(1) गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण.
5.	प्रशिक्षण अधिकारी (वायरमेन)	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र धारी हो, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण.
6.	प्रशिक्षण अधिकारी (ड्राफ्समेन मेकेनिकल, मशीनिस्ट ग्राईंडर)	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या समकक्ष या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण.
7.	प्रशिक्षण अधिकारी (इंस्ट्रूमेन्ट मेकेनिक)	–तदैव–	–तदैव–	(1) गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या समकक्ष या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इंस्ट्रूमेन्ट इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण.

8.	प्रशिक्षण अधिकारी (रेफ्रिजरेशन एवं एयर कण्डीशनिंग)	–तदैव–	–तदैव–	(1) गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या समकक्ष या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल/रेफ्रिजरेशन एवं एयर कण्डीशनिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण.
9.	प्रशिक्षण अधिकारी (ड्राइवर कम मेकेनिक/मोटर मेकेनिक/डीजल मेकेनिक/ ट्रेक्टर मेकेनिक)	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या समकक्ष या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल/आटो मोबाईल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण. (3) हल्के मोटरयान (एलएमव्ही) का वैध लायसेंस अनिवार्य है.
10.	प्रशिक्षण अधिकारी (फोर्जर एवं हीट ट्रीटर/कारपेन्ट्री/मोल्डर/शीट मेटल/प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर/वेल्डर)	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या समकक्ष या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल/प्रोड्क्शन एवं मेनूफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण.
11.	प्रशिक्षण अधिकारी (फिटर/मशीनिस्ट/टर्नर/ प्लम्बर)	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या समकक्ष या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल/प्रोड्क्शन एवं मेनूफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण.

12.	प्रशिक्षण अधिकारी (लाईब्रेरी एवं इन्फार्मेशन साइंस)	–तदैव–	–तदैव–	(1) गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या समकक्ष या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से लाईब्रेरी एवं इन्फार्मेशन साइंस या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण.
13.	प्रशिक्षण अधिकारी (हॉस्पिटल हाऊस कीपिंग)	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या समकक्ष या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से पब्लिक हेल्थ/बायो साइंस फिजियोलॉजी/नर्सिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण.
14.	प्रशिक्षण अधिकारी (मेकेनिक कम्प्यूटर हार्डवेयर)	–तदैव–	–तदैव–	(1) गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या समकक्ष या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण.
15.	प्रशिक्षण अधिकारी (कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट) (कोपा)	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवी या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या समकक्ष या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या डीओई से "ए" स्तर का प्रमाणपत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बीसीए/पीजीडीसीए प्रमाणपत्र उत्तीर्ण.

16.	प्रशिक्षण अधिकारी (इफार्मेशन टेक्नालॉजी एवं इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम मेंटेनेंस)	–तदैव–	–तदैव–	(1) गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या समकक्ष या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इंफार्मेशन टेक्नालॉजी /कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण.
17.	प्रशिक्षण अधिकारी (सेक्रेट्रियल प्रेक्टिस)	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या समकक्ष या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मॉडर्न ऑफिस मेनेजमेंट या समकक्ष उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण.
18.	प्रशिक्षण अधिकारी (इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाइनिंग)	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या समकक्ष या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से सिविल/आर्किटेक्चरल असिस्टेंट/ इंटीरियर इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण.
19.	प्रशिक्षण अधिकारी (कटिंग एवं सीविंग)	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या समकक्ष या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कस्टम डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग/गारमेंट टेक्नालॉजी इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण.

20.	प्रशिक्षण अधिकारी (आर्किटेक्चरल असिस्टेंट)	—तदैव—	—तदैव—	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या समकक्ष या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण.
21.	(क) प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (फेब्रीकेशन सेक्टर)	—तदैव—	—तदैव—	(1) हाई स्कूल प्रमाणपत्र या मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी 11वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से फेब्रीकेशन/ मेकेनिकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि
	(ख) प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (आटोमोबाईल सेक्टर)	—तदैव—	—तदैव—	(1) हाई स्कूल प्रमाणपत्र या मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी 11वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से आटोमोबाईल इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि
	(ग) प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (इलेक्ट्रीकल सेक्टर)	—तदैव—	—तदैव—	(1) हाई स्कूल प्रमाणपत्र या मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी 11वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि या संबंधित क्षेत्र में एच.एन.टी.सी.
	(घ) प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी सेक्टर)	—तदैव—	—तदैव—	(1) हाई स्कूल प्रमाणपत्र या मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी 11वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से कम्प्यूटर साइंस/ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी में उपाधि/ पत्रोपाधि
	(ङ) प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (इन्स्ट्रूमेन्टेशन सेक्टर)	—तदैव—	—तदैव—	(1) हाई स्कूल प्रमाणपत्र या मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी 11वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से इलेक्ट्रानिक्स/ इन्स्ट्रूमेन्टेशन इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि या संबंधित क्षेत्र में एच.एन.टी.सी.
	(च) प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (इंडस्ट्रीयल ऑटोमेशन सेक्टर)	—तदैव—	—तदैव—	(1) हाई स्कूल प्रमाणपत्र या मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी 11वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से इंडस्ट्रीयल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि या संबंधित क्षेत्र में एच.एन.टी.सी.

	(छ) प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग सेक्टर)	—तदैव—	—तदैव—	(1) हाई स्कूल प्रमाणपत्र या मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी 11वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग/मेकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि
	(ज) प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (प्रोसेस प्लांट मेंटेनेंस सेक्टर)	—तदैव—	—तदैव—	(1) हाई स्कूल प्रमाणपत्र या मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी 11वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से मेकेनिकल /केमिकल/ रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग/इलेक्ट्रिकल/इंस्ट्रूमेन्टेशन (जैसा कि आवश्यक हो) इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि या संबंधित क्षेत्र में एच.एन.टी.सी.
	(झ) प्रशिक्षण अधिकारी (सी.ओ.ई.) (प्रोडक्शन एवं मेनुफेक्चरिंग सेक्टर)	—तदैव—	—तदैव—	(1) हाई स्कूल प्रमाणपत्र या मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी 11वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से मेकेनिकल/ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि
22.	प्रशिक्षण अधिकारी (वर्कशाप केलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग)	—तदैव—	—तदैव—	(1) गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हों. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या समकक्ष या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण.
23.	प्रशिक्षण अधिकारी, स्टेनोग्राफी (हिन्दी/अंग्रेजी)	—तदैव—	—तदैव—	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से :— (क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए — हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

				(ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए – अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए – ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी) (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा /प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।
24.	प्रशिक्षण अधिकारी (उपर्युक्त व्यवसायों को छोड़कर अन्य व्यवसायों के लिये)	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो. (2) अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या समकक्ष या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इंजीनियरिंग में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण.
25.	प्रशिक्षण अधिकारी, (भाषा हिन्दी)	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हिन्दी साहित्य में स्नातक उत्तीर्ण, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण को प्राथमिता दी जायेगी. (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण
26.	प्रशिक्षण अधिकारी, (भाषा अंग्रेजी)	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अंग्रेजी साहित्य में स्नातक उत्तीर्ण, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण को प्राथमिता दी जायेगी. (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण
27.	प्रशिक्षण अधिकारी (सामाजिक अध्ययन /एम्पलायबीलिटी स्कील)	–तदैव–	–तदैव–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन (बी.बी.ए.) में स्नातक उपाधि
28.	प्रशिक्षण अधिकारी, भाषा – अंग्रेजी (कम्यूनिकेशन स्किल)	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अंग्रेजी साहित्य में स्नातक उत्तीर्ण, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण को प्राथमिता दी जायेगी (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण

29.	मेन्टेनेंस मैकेनिक (मेकेनिकल / इलेक्ट्रिकल)	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो (2) मैकेनिकल (फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर) के लिये तथा इलेक्ट्रिकल (इलेक्ट्रिशीयन ट्रेड) के लिये अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र या राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाणपत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण

टीप:– (1) राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से प्रमाणपत्र धारी अभ्यर्थियों को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

(2) सभी प्रशिक्षण अधिकारियों (ट्रेड, इंजीनियरिंग ड्राईंग, वर्कशाप कलकुलेशन) को, ए.टी.आई. / सी.टी.आई. से उस व्यवसाय जिनमें एक वर्षीय पाठ्यक्रम उपलब्ध नही है तथा उस व्यवसाय जिनमें एक वर्षीय पाठ्यक्रम उपलब्ध है, में एक वर्षीय अनुदेशक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना होगा। किन्तु वे प्रशिक्षण अधिकारी, जिसने पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें डीजीईटी द्वारा संचालित तीन माह का प्रिसिंपल ऑफ टीचिग कोर्स उत्तीर्ण करना होगा। उक्त के अभाव में, वेतन वृद्धि एवं उच्च पद पर पदोन्नति का लाभ नही दिया जायेगा।

अलिपिकीय गैर–तकनीकी संवर्ग				
30.	(क) छात्रावास अधीक्षक (बालक)	18 वर्ष	30 वर्ष **(छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के लिये 35 वर्ष)**	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी 11वीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण (2) व्यायाम प्रशिक्षण (फिजीकल ट्रेंनिग) में डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यायाम प्रशिक्षण (फिजीकल ट्रेंनिग) में स्नातक (3) केवल पुरूष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।.
	(ख) छात्रावास अधीक्षक (बालिका)	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी 11वीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण (2) व्यायाम प्रशिक्षण (फिजीकल ट्रेंनिग) में डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यायाम प्रशिक्षण (फिजीकल ट्रेंनिग) में स्नातक (3) केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।.
31.	वाहन चालक	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी 11वीं या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण (2) हल्के / भारी वाहन चलाने का वैध लायसेंस होना चाहिये
32.	पट्टी बंधक (ड्रेसर)	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान के साथ हाई स्कूल या पुरानी 11वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (2) मेडिकल केन्द्र / संस्थान से तीन माह का पट्टी बंधक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण

33.	फार्मासिस्ट	–तदैव–	–तदैव–	(1) मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान के साथ हाई स्कूल या पुरानी 11वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण (2) मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा (3) फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत (4) कम्पाउंडर के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव
लिपिकवर्गीय संवर्ग				
34.	स्टेनो टायपिस्ट (हिन्दी)	18 वर्ष	30 वर्ष **(छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के लिये 35 वर्ष)**	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा /प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)
35.	सहायक ग्रेड–तीन	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र। (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति। (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।
36.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

				अथवा कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)

टीप— ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं, के लिये उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची—चार

(नियम 14 देखिये)

स. क्र	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु पात्र होने के लिये अनुभव की न्यूनतम अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय, सी.ओ.ई. वर्कशाप केलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग).	प्रशिक्षण अधीक्षक / तकनीकी सहायक	(1). एनटीसी / एनएसी उत्तीर्ण के लिये 6 वर्ष (2). इंजीनियरिंग डिप्लोमा उत्तीर्ण के लिये 5 वर्ष (3). इंजीनियरिंग (डिग्री) उत्तीर्ण के लिये 4 वर्ष	(1) अपर संचालक / संयुक्त संचालक (2) उप संचालक (3) सहायक संचालक	
2.	मेंटेनेन्स मैकेनिक (मैकेनिकल / इलेक्ट्रीकल)	प्रशिक्षण अधिकारी	5 वर्ष	—तदैव—	प्रशिक्षण अधिकारी (संबंधित व्यवसाय) को तभी पदोन्नत किया जाएगा यदि पद रिक्त हो
3.	कर्मशाला सहायक	प्रशिक्षण अधिकारी	5 वर्ष	—तदैव—	प्रशिक्षण अधिकारी (संबंधित व्यवसाय) को तभी पदोन्नत किया जाएगा यदि पद रिक्त हो
4.	वाहन चालक (हाई स्कूल उत्तीर्ण)	प्रशिक्षण अधिकारी	7 वर्ष	—तदैव—	प्रशिक्षण अधिकारी (संबंधित व्यवसाय) को तभी पदोन्नत किया जाएगा यदि पद रिक्त हो
5.	पट्टी बंधक (ड्रेसर)	फार्मासिस्ट	5 वर्ष	—तदैव—	
6.	अधीक्षक आई.टी.आई. / क्षेत्रीय कार्यालय	अधीक्षक संचालनालय	3 वर्ष	—तदैव—	

7.	सहायक ग्रेड–एक	सहायक लेखाधिकारी / अधीक्षक	3 वर्ष	–तदैव–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा सहायक ग्रेड–एक के पद पर कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव तथा लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये
8	सहायक अधीक्षक / सहायक ग्रेड–एक	अधीक्षक आई.टी.आई. / क्षेत्रीय कार्यालय	3 वर्ष	–तदैव–	
9.	सहायक ग्रेड–दो / लेखापाल	सहायक अधीक्षक / सहायक ग्रेड–एक	3 वर्ष	–तदैव–	
10.	सहायक ग्रेड–तीन	सहायक ग्रेड–दो / लेखापाल	3 वर्ष	–तदैव–	
11.	स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	7 वर्ष	–तदैव–	
12.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सहायक ग्रेड–तीन	5 वर्ष	–तदैव–	

Naya Raipur, The 15th October 2014

NOTIFICATION

No. F 1-60/2013/MPP/42.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh Industrial Training (Non-Gazetted) Class-III Service, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Industrial Training (Non-Gazetted) Class-III Service Recruitment Rules, 2014.

   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "**Appointing Authority**" in respect of service means the authority as specified in column (6) of Schedule-I;

   (b) "**Committee**" means Departmental Promotion Committee constituted under Schedule - IV or Selection Committee;

   (c) "**Director**" means Director, Directorate of Employment and Training, Chhattisgarh;

   (d) "**Examination**" means the competitive examination held for recruitment to the service conducted under rule 11 of these rules;

   (e) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

   (f) "**Governor**" means the Governor of Chhattisgarh;

   (g) "**Other Backward Classes**" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

   (h) "**Schedule**" means the Schedule appended to these rules;

   (i) "**Scheduled Castes**" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

   (j) "**Scheduled Tribes**" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

   (k) "**Service**" means the Chhattisgarh Industrial Training (Non-Gazetted) Class-III Services;

   (l) "**State**" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.-**Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service.** - The service shall consist of the following persons, namely:-

   (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or an officiating capacity the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, scale of pay etc.- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment. - (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -

(a) by direct recruitment, through competitive examination or selection on the basis of merit and interview;

(b) by promotion of members of the service as mentioned in column (2) of Schedule-IV;

(c) by transfer/deputation of persons, who hold in a substantive capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of the persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, then he may, with the prior concurrence of the General Administration Department of the Government, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhada Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and instructions issued, from time to time, under the said Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. Appointment in service.- All appointments to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment.- In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(I) Age – (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published:

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 (Five) years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh, to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate who is a "retrenched government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "retrenched government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service;

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation -The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service, namely :-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fullfilling the conditions of the enrolment;

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including Short-Service Regular Commissioned Officers);

(v) Ex-servicemen discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-Servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum of 2 years in respect of green card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984;

(h) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidiates.

(i) The upper age limit shall be relaxed up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note- (1) The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) of rule 8 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.

(k) After providing relaxation on the basis of any or more of the above category for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years;

(l) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

(II) Educational qualifications and experience- The candidate must possess the educational qualifications and experience prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) Fees:- (A) The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

(B) The candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of the Medical Board before medical test.

9. Disqualification.- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by the Appointing Authority to a disqualification for appearing in the examination/selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which one is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more children are born shall not be disqualified for any service or post.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.- (1) The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for examination/selection shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall not be allowed to appear in the examination/interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Appointing Authority that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Appointing Authority.

11.Direct Recruitment by Competitive Examination / Selection /Interview.- (1) Direct Recruitment by Competitive Examination:- (i) Appointing Authority shall constitute a Selection Committee comprising of three members.

(ii) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such interval as the Appointing Authority may, in consultation with the Government from time to time, determine.

(iii)The examination shall be conducted by Selection Committee in accordance with orders issued by the Appointing Authority, from time to time:

Provided that written examination from time to time shall be conducted for appointment in the service by such agency, which shall be specified from time to time by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(iv) Selection of the candidates for the service shall be made, in such manner, as may be determine by the Appointing Authority after consultation with the Government in accordance with the directions issued by the Director General, Employment and Training, New Delhi.

(2) Direct Recruitment by Selection/Interview -

(i) The selection of the candidates to the service shall be held at such intervals as may be determined by the Appointing Authority.

(ii) The selection of candidates shall be done by the Selection Committee based on interview.

(iii) Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority at appropriate time intervals.

(3) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall be applicable.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Appointing Authority keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (3) as the case may be.

(6) There shall be 30% posts reserved for women candidates, in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

(7) In such cases, where certain experience period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled by direct recruitment and it is found in the opinion of the

Appointing Authority that there is a possibility of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Appointing Authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

(8) In addition to the above, posts for persons with disability and ex-servicemen shall be reserved in accordance with the directions issued by the Government, from time to time.

12. **List of candidates recommended by the Committee.- (1)** The Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority, arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who, though not qualified by such standard but declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in the administration and a list of the candidates in the order of merit of each category belonging to women, persons with disability /ex-servicemen, who have qualified by such standards due to reservation and validity of said list shall be one year from the date of sending the list to the Appointing Authority for appointment.

(2) Selection Committee shall also prepare a waiting list, for each category mentioned above, in which minimum one name and maximum names up to 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be one and half year from the date of issue of select list.

(3) Lists so prepared under sub-rule (1) shall also be published for information to the general public.

(4) Subject to the provisions of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(5) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

(6) Any candidate, whose name is included in the selection list, does not join the duty within the valid period, or resigns or for any other reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period of selection list, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Appointing Authority for appointment.

13. **Appointment by Promotion.- (1)** There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

14. Conditions of eligibility for promotion.- (1) subject to the provisions of sub-rule (2) the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or in any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation.- The method of computation for eligibility for promotion- The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) The promotion shall be made in accordance with rule 4 of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) (i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during the period of 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government Servants are not available for promotion then the area of consideration may extend up to 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category within above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the period of 1 year.

(4) To fill up the unexpected vacancies during the said duration in addition to the expected vacancies under sub-rule (2), two public servant or up to 25% of number of public servant included in the select list, whichever is more, shall consider the name with requisite number for each cadre for the purpose of inclusion of his name.

(5) The promotion shall be made in accordance with the order issued by the General Administration Department from time to time and as per Model Roster.

15. Preparation of list of suitable candidate. - (1) The committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the condition prescribed in rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of period of one year from the date of preparation of the list. In addition to this a reserve list, which shall

consist of one and minimum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) The list of suitable employees shall be prepared in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The name of employee included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or post as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of select list.

Explanation- The person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, as the case may be, then the committee shall record its reason for the proposed supersession.

16. Select List.- (1) The Appointing Authority shall consider over the list along with the documents received from the Committee, prepared by the Committee, if in the opinion of the Appointing Authority that there is no need of making any changes then it shall approve the list.

(2) If the Appointing Authority considers it necessary to make any changes in the list received from the Committee, the Appointing Authority shall inform the Committee of the changes proposed and if the Committee expresses any opinion, after considering it, along with such modifications, if any, in its opinion that is just and proper, shall approve the list finally.

(3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of the civil services to the posts mentioned in column (3) of Schedule-IV from the posts mentioned in column (2) of the said Schedule.

(4) The validity of select list shall not be extended beyond 31st December from the date of its preparation:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Committee, if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to the service from the select list. - (1) Appointment of the employees included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such employees appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. Probation. - (1) (a) Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

(b) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of 1 year.

(c) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an employee, then the services of such probationer can be terminated.

(2) Every person recruited by promotion to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

19. Interpretation. - If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

20. Relaxation. - Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to him to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21. Repeal and saving.- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YACUB XESS, Deputy Secretary.

SCHEDULE- I

(See rule-5)

S. No.	Name of the Post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Technical/ Non-Technical Cadre				
1.	Training Superintendent /Technical Assistant	254	Class -III	9300-34800+4300	Director, Directorate of Employment and Training, Chhattisgarh
2.	Training Officer (Stenography) Hindi/English	39	Class -III	9300-34800+4300	Director, Directorate of Employment and Training/ Joint Director or its equivalent authority who is in-charge of establishment section
3.	Training Officer (Language) Hindi/English /Communication Skill	140	Class -III	9300-34800+4200	...do...
4.	(a) Training Officer (Trade/Engineering drawing/Workshop calculation / C.O.E./ BBBT)	1750	Class -III	9300-34800+4200	...do...
	(b) Training officer (C.O.E. Advance Module)	40	Class -III	9300-34800+4200	...do...
5.	Training Officer (Social Study/ Employability skill)	21	Class -III	9300-34800+4200	...do...
6.	Maintenance Mechanic (Mechanical/Electrical)	24	Class -III	5200-20200+2200	...do...
	Non-Ministerial Non-Technical Cadre				
7.	(a) Hostel Superintendent (Boys)	70	Class –III	5200-20200+2400	...do...
	(b) Hostel Superintendent (Girls)	10	Class –III	5200-20200+2400	...do...

8.	Driver	11	Class -III	5200-20200+1900	...do...
9.	Pharmacist	30	Class -III	5200-20200+1900	...do...
10.	Dresser	27	Class -III	5200-20200+1800	...do...
			Ministerial Cadre		
11.	Superintendent, Directorate	01	Class -III	9300-34800+4300	Director, Directorate of Employment and Training, Chhattisgarh
12.	Superintendent (I.T.I./Zonal Office)	07	Class -III	9300-34800+4200	Director, Directorate of Employment and Training/ Joint Director or its equivalent authority who is in-charge of establishment section
13.	Assistant Account Officer	01	Class -III	9300-34800+4200	...do...
14.	Stenographer Grade-III	02	Class -III	5200-20200+2800	...do...
15.	Assistant Superintendent/Assistant Grade-I	79	Class -III	5200-20200+2800	...do...
16.	Assistant Grade-II/ Accountant	263	Class -III	5200-20200+2400	...do...
17.	Data Entry Operator	102	Class -III	5200-20200+2400	...do...
18.	Assistant Grade-III	349	Class -III	5200-20200+1900	...do...
19.	Steno-Typist	07	Class -III	5200-20200+1900	...do...

SCHEDULE – II

(See rule 6)

S.No.	Name of the posts included in the service	Total number of posts	Percentage of number of the posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment rule 6(1)(a)	By Promotion of the members of the service rule 6(1)(b)	By temporary Transfer of the persons from other service vide rule 6 (1) (c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Technical/Non-Technical(Training)Cadre					
1.	Training Superintendent/ Technical Assistant	254	-	100%	-	From Serial number 4(a) and 4(b)
2.	Training Officer (Stenography) Hindi/English	39	100%	-	-	
3.	Training Officer (Language) Hindi/ English/ Communication Skill	140	100%	-	-	
4.	(a) Training Officer (Trade/Engineering Drawing/Workshop calculation/C.O.E./BBBT)	1750	85%	15%	-	(1)In column No. (5) of Serial No. 4(a), of 25% Maintenance Mechanic (Mechanical/Electrical) with 5 years experience who have acquire the education and technical qualification. (2) In column No. (5) of Serial No. 4(a), of 75%

						workshop Attendant with 5 years experience. Who have acquired the education and technical qualification.
	(b) Training officer (C.O.E. Advance Module)	40	100%	-	-	
5.	Training Officer (Social Study/ Employability Skill)	21	100%	-	-	
6.	Maintenance Mechanic (Mechanical/Electrical)	24	100%	-	-	
	Non-Ministerial Non-Technical Cadre					
7.	(a)Hostel Superintendent (boys)	70	100%	-	-	
	(b)Hostel Superintendent (girls)	10	100%	-	-	
8.	Driver	11	100%	-	-	
9.	Pharmacist	30	75%	25%	-	25% of the posts shall be filled by those Dressers, who have acquired educational and technical qualification and have minimum 5 years experience.
10.	Dresser	27	100%	-	-	
	Ministerial Cadre					
11.	Superintendent, Directorate	01	-	100%	-	
12.	Superintendent (I.T.I./Zonal Office)	07	-	100%	-	

13.	Assistant Accounts Officer	01	-	100%	-	Graduate from any recognized University and has passed Accounts Training Examination having work experience of three years in the post of Assistant Grade-I.
14.	Stenographer Grade-III	02	-	100%	-	
15.	Assistant Superintendent/ Assistant Grade-I	79	-	100%	-	
16.	Assistant Grade-II/ Accountant	263	-	100%	-	
17.	Data Entry Operator	102	100%	-	-	
18.	Assistant Grade-III	349	75%	25%	-	25% of posts shall be filled from those Class-IV employees who have passed Higher Secondary (10+2) examination and have minimum 5 year experience.
19.	Steno-Typist	07	100%	-	-	

SCHEDULE- III

(See rule 8)

S. No.	Name of service or post	Minimum age limit	Maximum age limit.	Prescribed educational qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Technical Cadre		
1.	Training Officer (Electronics, Radio and Television Mechanic Trade)	18 years	30 years (35 years for domicile resident of State of Chhattisgarh)	(1) Passed High School or Old 11th from recognized Board, with Mathematics, Physics, and Chemistry or equivalent examination. (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or State Trade Certificate from State Council for Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade, or Degree/Diploma in Electronics Engineering or equivalent branch from recognized University or Board.
2.	Training Officer (Draughtsman Civil, Painter General, Surveyor)	...do...	...do...	(1) Passed High School or Old 11th from recognized Board, with Mathematics, Physics, and Chemistry or equivalent examination. (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or State Trade Certificate from State Council for Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade, or Degree/Diploma in Civil Engineering or equivalent branch from recognized University or Board.
3.	Training Officer (Meson)	...do...	...do...	(1) Passed High School or Old 11th from recognized Board or equivalent examination. (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or State Trade certificate from State Council For Vocational Training or National

				Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade, or Degree/Diploma in Civil engineering or equivalent branch from recognized University or Board.
4.	Training Officer (Electrician)	...do...	...do...	(1) Passed High School or Old 11th from recognized Board, with Mathematics, Physics, and Chemistry or equivalent examination. (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or State Trade Certificate from State Council for Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade or Degree/Diploma in Electrical Engineering or equivalent branch from recognized University or Board.
5.	Training Officer (Wireman)	...do...	...do...	(1) Passed High School or Old 11th from recognized Board or equivalent examination. (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or State Trade certificate from State Council for Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training in relevant Trade, or Degree/Diploma in Electrical Engineering or equivalent branch from recognized University or Board.
6.	Training Officer (Draughtsman Mechanical, Machinist Grinder)	...do...	...do...	(1) Passed High School or Old 11th from recognized Board or equivalent examination. (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or State Trade certificate from State Council For Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training or equivalent in relevant Trade, or Degree/Diploma in Mechanical Engineering or equivalent branch from recognized University or Board.

7.	Training Officer (Instrument Mechanic)	...do...	...do...	(1) Passed High School or Old 11th from recognized Board, with Mathematics, Physics, and Chemistry or equivalent examination (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or State Trade certificate from State Council For Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training or equivalent in relevant Trade, or Degree/Diploma in Instrumentation Engineering or equivalent branch from recognized University or Board.
8.	Training Officer (Refrigeration and Air Conditioning)	...do...	...do...	(1) Passed High School or Old 11th from recognized Board, with Mathematics, Physics, and Chemistry or equivalent examination. (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or State Trade Certificate from State Council for Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training or equivalent in relevant Trade, or Degree/Diploma in Mechanical/Refrigeration & Air conditioning Engineering or equivalent branch from recognized University or Board.
9.	Training Officer (Driver Cum Mechanic/ Motor Mechanic/ Diesel Mechanic/Tractor Mechanic)	...do...	...do...	(1) Passed High School or Old 11th from recognized Board, or equivalent examination. (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or State Trade Certificate from State Council For Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational. Training or equivalent in relevant Trade, or Degree/Diploma in Mechanical/ Auto Mobile Engineering or equivalent branch from recognized University or Board.

				(3) Valid License of Light Motor vehicle (LMV) is essential.
10.	Training Officer(Forger and Heat Treater/ Carpentry/Molder/Sheet Metal/Plastic Processing Operator/ Welder)	...do...	...do...	(1) Passed High School or Old 11th from recognized Board or equivalent examination. (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or State Trade Certificate from State Council For Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training or equivalent in relevant Trade, or Degree/Diploma in Mechanical/ Production & Manufacturing Engineering or equivalent from recognized University or Board.
11.	Training Officer (Fitter/Machinist/Turner/ Plumber)	...do...	...do...	(1) Passed High School or old 11th from recognized Board, or equivalent examination. (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or State Trade Certificate from State Council For Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training or equivalent in relevant Trade, or Degree/Diploma in Mechanical/ Production & Manufacturing Engineering or equivalent from recognized University or Board.
12.	Training Officer (Library and Information Science)	...do...	...do...	(1) Passed High School or Old 11th from recognized Board, with Mathematics, Physics, and Chemistry or equivalent examination. (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or or State Trade Certificate from State Council For Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training or equivalent in relevant Trade, or Degree/Diploma in Library & Information Science or equivalent from recognized University or Board.

13.	Training Officer (Hospital House Keeping)	...do...	...do...	(1) Passed High School or old 11th from recognized Board, or equivalent examination (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or State Trade Certificate from State Council for Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training or equivalent in relevant Trade. or Degree/Diploma in Public health/ Bio Science/Physiology/Nursing from recognized University or Board.
14.	Training Officer (Mechanic Computer Hardware)	...do...	...do...	(1) Passed High School or Old 11th from recognized Board. with Mathematics, Physics, and Chemistry or equivalent examination. (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or or State Trade Certificate from State Council For Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training or equivalent in relevant Trade, or Degree/Diploma in Electronics/Computer Science Engineering or equivalent from recognized University or Board.
15.	Training Officer (Computer Operator and Programming Assistant) (COPA)	...do...	...do...	(1) Passed High School or Old 11th from recognized Board, or equivalent examination. (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or State Trade Certificate from State Council For Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training or equivalent in relevant Trade, or Degree/Diploma in Computer Science Engineering from recognized University or Board or "A" level certificate from DOE or B.C.A. /P.G.D.C.A. from recognized University/ Board.
16.	Training Officer (Information Technology and Electronics system maintenance)	...do...	...do...	(1) Passed High School or Old 11th from recognized Board, with Mathematics, Physics, and Chemistry or equivalent examination.

				(2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or State Trade Certificate from State Council for Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training or equivalent in relevant Trade, or Degree/Diploma in Information Technology /Computer Science Engineering from recognized University or Board.
17.	Training Officer (Secretarial Practice)	...do...	...do...	(1) Passed High School or Old 11th from recognized Board, or equivalent examination. (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or State Trade Certificate from State Council for Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training or equivalent in relevant Trade, or Degree/Diploma in Modern office management or equivalent from recognized University or Board.
18.	Training Officer (Interior Decoration and Designing)	...do...	...do...	(1) Passed High School or Old 11th from recognized Board, or equivalent examination (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or State Trade Certificate from State Council For Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training or equivalent in relevant Trade, or Degree/Diploma in Civil/Architectural assistant/Interior engineering from recognized University or Board.
19.	Training Officer (Cutting and Sewing)	...do...	...do...	(1) Passed High School or Old 11th from recognized Board, or equivalent examination. (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or or State Trade Certificate from State Council For

				Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training or equivalent in relevant Trade, or Degree/Diploma in Costume design & Dress making/Garment Technology Engineering from recognized University or Board.
20.	Training Officer (Architectural Assistant)	...do...	...do...	(1) Passed High School or Old 11[th] from recognized Board, or equivalent examination. (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or State Trade Certificate from State Council for Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training or equivalent in relevant Trade, or Degree/Diploma in Architectural engineering from recognized University or Board.
21.	(a)Training Officer (COE) (Fabrication Sector)	...do...	...do...	(1) Passed High School or Old 11[th] from recognized Board, or equivalent examination. (2) Degree/ Diploma in Fabrication/Mechanical/Production Engineering from recognized University or Board.
	(b)Training Officer (COE) (Automobile Sector)	...do...	...do...	(1) Passed High School or old 11[th] from recognized Board, or equivalent examination. (2) Degree/Diploma in Automobile Engineering from recognized University/ Board.
	(c)Training Officer (COE) (Electrical Sector)	...do...	...do...	(1) Passed High School or old 11[th] from recognized Board, or equivalent examination. (2) Degree/Diploma in Electrical Engineering from recognized University/ Board. or H.N.T.C. in relevant field.
	(d)Training Officer (COE) (Information Technology Sector)	...do...	...do...	(1) Passed High School or old 11[th] from recognized Board, or equivalent examination.

				(2) Degree/ Diploma in Computer Science/Information Technology from recognized University/ Board.
	(c)Training Officer (COE)(Instrumentation Sector)	...do...	...do...	(1) Passed High School or old 11th from recognized Board, or equivalent examination. (2) Degree/ Diploma in Electronics/Instrumentation Engineering from recognized University/ Board or H.N.T.C. in relevant field.
	(f)Training Officer (COE)(Industrial Automation Sector)	...do...	...do...	(1) Passed High School or old 11th from recognized Board, or equivalent examination. (2) Degree/ Diploma in Industrial Automation Engineering from recognized University/ Board or H.N.T.C. in related area.
	(g)Training Officer (COE)(Refrigeration and Air Conditioner Sector)	...do...	...do...	(1) Passed High School or old 11th from recognized Board, or equivalent examination. (2) Degree/ Diploma in Refrigeration and Air Conditioner/Mechanical Engineering from recognized University/ Board.
	(h)Training Officer (COE) (Processes Plant Maintenance Sector)	...do...	...do...	(1) Passed High School or old 11th from recognized Board, or equivalent examination. (2) Degree/ Diploma in /Mechanical/ Chemical /Refrigeration and Air Conditioning/ Electrical/Instrumentation (as required) Engineering from recognized University/ Board or H.N.T.C. in related area.
	(i)Training Officer (COE) (Production and Manufacturing Sector)	...do...	...do...	(1) Passed High School or old 11th from recognized Board, or equivalent examination. (2) Degree/ Diploma in Mechanical/ Production Engineering from recognized University/ Board.
22.	Training Officer (Workshop Calculation and Engineering Drawing)	...do...	...do...	(1) Passed High School or Old 11th from recognized Board, with Mathematics, Physics, and Chemistry or equivalent examination. (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National

				Council for Vocational Training / State Trade Certificate from State Council For Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training or equivalent in relevant Trade. or Degree/ Diploma in Mechanical Engineering from recognized University/ Board.
23.	Training Officer Stenography (Hindi/English)	...do...	do...	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board. OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) From any recognized Board/Institute/Stenography (Shorthand) Typing Council :- (a) **For Stenographer (Hindi)-** Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (b) **For Stenographer (English)-** Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (c) **For Bilingual Stenographer-** Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).
24.	Training Officer (for Trades other than the above trades)	...do...	...do...	(1) Passed High School or old 11th from recognized Board, or equivalent examination. (2) The candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or State Trade Certificate from State Council For Vocational Training or National Apprentice Certificate from National

				Council for Vocational Training or equivalent in relevant Trade, or Degree/Diploma in Engineering from recognized University or Board.
25.	Training Officer (Language Hindi)	...do...	...do...	(1) Passed Graduate Degree in Hindi literature from recognized University, preference shall be given to passed Post Graduate . (2) Should have passed B.Ed. from recognized University.
26.	Training Officer (Language English)	...do...	...do...	(1) Passed Graduate Degree in English literature from recognized University, preference shall be given to passed Post Graduate . (2) Should have passed B.Ed. from recognized University.
27.	Training Officer (Social Study/ Employability skill)	...do...	...do...	Degree in Business Management (B.B.A.) from recognized University.
28.	Training Officer Language English (Communication skill)	...do...	...do...	(1) Passed Graduate Degree in English literature from recognized University, preference shall be given to passed Post Graduate . (2) Should have passed B.Ed. from recognized University
29.	Maintenance Mechanic (Mechanical /Electrical)	...do...	...do...	(1) Passed High School or old 11th from recognized Board, or equivalent examination. (2) For mechanical (Fitter, Turner, Mechanist) or for Electrical (Trade Electrician) the candidate should have passed National Trade Certificate from National Council for Vocational Training or State Trade Certificate from State Council For Vocational Training or National Apprentice Certificate from National Council for Vocational Training.

Note:- (1) In probation period of 2 years, it is essential to pass National Trade Certificate Examination from N.C.V.T for candidates certified from S.C.V.T.

(2) All Training Officer (Trade, Engineering Drawing, Workshop Calculation) shall have to pass the ATI/CTI's one year instructor Training course in the trade where there is no one year instructor training course and in the trade where there is one year instructor training course. But those training officers, who have got five year experience, shall have to pass the principal of teaching course of three months conducted by D.G.E.T. In the absence of above; Increment and higher promotions facility shall not be given.

Non- Clerical-Technical Cadre				
30.	(a)Hostel Superintendent (Boys)	18 years	30 years (35 years for domicile resident of State of Chhattisgarh)	(1) Passed High School or old 11th from recognized Board, or equivalent examination. (2) Passed Diploma in Physical Training or Graduated in Physical Training from a recognized University. (3) Only male candidates are eligible.
	(b)Hostel Superintendent (Girls)	...do...	...do...	(1) Passed High School or old 11th from recognized Board, or equivalent examination. (2) Passed Diploma in Physical Training or Graduated in Physical Training from a recognized University. (3) Only female candidates are eligible.
31.	Driver	...do...	...do...	(1) Passed High School or old 11th from recognized Board, or equivalent examination. (2) Should have a valid Driving License of light/heavy Vehicles.
32.	Dresser	...do...	...do...	(1) Passed High School or old 11th from recognized Board, with Physics, Chemistry and Biology or equivalent examination. (2) Must have completed three month course in dressing form Medical Center/Institute.
33.	Pharmacist	...do...	...do...	(1) Passed High School or old 11th from recognized Board, with Physics, Chemistry and Biology or equivalent examination. (2) Must have a Diploma in Pharmacy from recognized Institute. (3) Must be registered with pharmacy council. (4) Must have at least 3 years experience as Compounder.

Ministerial Cadre				
34.	Steno Typist (Hindi)	18 years	30 years (35 years for domicile resident of State of Chhattisgarh)	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board. OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).
35	Assistant Grade -III	...do...	...do...	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute. (3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken).
36.	Data- Entry- Operator	...do...	...do...	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University, OR Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken).

Note-The upper age limit shall be relaxable for candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh, as per the ins[illegible]tions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

SCHEDULE – IV
(See Rule 14)

S.No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Minimum period of experience for eligibility of promotion	Name of member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Training Officer (Trade, C.O.E., Workshop Calculation and Engineering Drawing)	Training Superintendent /Technical Assistant	(1) Six years for passed NAC/ NTC (2) Five years for passed Engineering diploma holder. (3) Four years for passed Engineering degree.	(1)Additional Director/Joint Director (2) Deputy Director (3) Assistant Director	
2.	Maintenance Mechanic (Mechanical/Electrical)	Training Officer	5 year	---- do----	Training Officer (related trade) shall be promoted only if the posts is vacant.
3.	Workshop Attendant	Training officer	5year	---- do----	Training Officer (related trade) shall be promoted only if the posts is vacant.
4.	Driver (High School Pass)	Training Officer	7 year	---- do----	Training Officer (related trade) shall be promoted only if the posts is vacant.
5.	Dresser	Pharmacist	5year	---- do----	
6.	Superintendent ITI/Zonal Office	Superintendent Directorate	3 year	---- do----	
7.	Assistant Grade – I	Assistant Account Officer/ Superintendent	3 year	---- do----	should be a Graduate from recognized

					University having three years work experience of the post Assistant Grade-I and must have passed the account training examination.
8.	Assistant Superintendent/Assistant Grade - I	Superintendent ITI/Zonal Office	3 year	---- do----	
9.	Assistant Grade -II / Accountant	Assistant Superintendent /Assistant Grade -I	3 year	---- do----	
10.	Assistant Grade – III	Assistant Grade – II / Accountant	3 year	---- do----	
11.	Steno Typist	Stenographer-III	7 year	---- do----	
12.	Class- IV employees	Assistant Grade – III	5 Year	---- do----	Only those employees are eligible for promotion who have passed higher secondary Examination and Should posses one year Diploma /Certificate in Data Entry Operator/Programming. Should Posses Speed 5,000 Key depression per hour Hindi Data Entry in computer. (Speed skill test will be held.)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.